



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 45 राँची, शुक्रवार,

27 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

1 दिसम्बर, 2022

संख्या-8/आरोप-14/2019 का. 7574--श्री प्रेम लाल मेहरा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, कल्याण विभाग, सम्प्रति-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2646 दिनांक-02.08.2019 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में साक्ष्य सहित आरोप पत्र गठित कर इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गठित आरोप पत्र पर श्री मेहरा, प्रशाखा पदाधिकारी का बचाव-बयान प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-2695 दिनांक-04.06.2020 द्वारा श्री प्रेम लाल मेहरा, प्रशाखा पदाधिकारी के समर्पित बचाव-बयान की प्रति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3358 दिनांक-24.12.2021 द्वारा श्री प्रेम लाल मेहरा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, कल्याण विभाग के बचाव-बयान पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

3. समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश संख्या-1940 दिनांक-25.03.2022 द्वारा श्री प्रेम लाल मेहरा, प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-41 दिनांक-29.07.2022 के माध्यम से उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। विभागीय पत्रांक-6035 दिनांक-28.09.2022 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री मेहरा, प्रशाखा पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए द्वितीय कारणपृच्छा की गई, जिसके अनुपालन में श्री मेहरा द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा दिनांक 14.10.2022 इस विभाग में समर्पित किया गया ।

4. श्री मेहरा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं श्री मेहरा द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री मेहरा, प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया ।

5. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री प्रेम लाल मेहरा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, कल्याण विभाग, सम्प्रति-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (iv) के अन्तर्गत “असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक” की शास्ति अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही को निष्पादित किया जाता है ।

गुलाम सरवर,
सरकार के अवर सचिव ।
